

न्यायालय तहसीलदार, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 61/24

निर्णय दिनांक 22/8/24

सरकार जरिये

बनाम

श्री. होगगलाल पि० मंगीलाल
बाबु वि० शुक्ला

पटवार हल्का जयनगर

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय

पत्रावली आज मुकाम के० पर पेश हुई। संक्षिप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जयनगर ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि श्री होगगलाल पि० मंगीलाल ने तहसील बेगूँ के ग्राम शुक्ला में स्थित आराजी नम्बर 32 रकबा 0.75 किस्म जंगल पर दोराने सम्बत् 208 खरीफ में अनाधीकृत रूप से भूमि को जंगल फसल कीकल अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91(3) एवं धारा 91(6) एल.आर.एक्ट में जारी किया जो विधिवत रूप से तामील करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य में अतिक्रमित क्षेत्र अतिक्रमी के नाम नियमन योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अतिक्रमी को ग्राम शुक्ला में स्थित खसरा नम्बर 52 रकबा 0.75 किस्म जंगल भूमि से बेदखली का निर्णय पारित किया जाता है। जुर्माना लगान 5.00 रु. का 50 गुणा राशि 250/- रुपये आरोपित किये जाते हैं। जो वसूल हो।

निर्णय बमुकाम लिखाया जाकर सुनाया गया।

पालनार्थ पटवारी एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।



92
तहसीलदार
बेगूँ तहसीलदार
चि० तहसीलदार
बेगूँ